*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–03/2015 63 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद्, शेखपुरा।

पटना, दिनांक–09/01/19

विषयः– नगर परिषद्, शेखपुरा में पूर्व में नागरिक सुविधा मद अंतर्गत स्वीकृत योजना के लिए देनदारी की कुल राशि ₹63.31100 लाख (तिरसठ लाख एकतीस हजार एक सौ रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2018–19 में नागरिक सुविधा मद से सहायक अनुदान के रूप में राशि का आवंटन।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में नगर परिषद्, शेखपुरा में निम्न तालिका के स्तम्भ– 4 में अंकित राज्यादेश द्वारा सम्राट अशोक विवाह भवन निर्माण की योजना को स्तम्भ– 5 में अंकित राशि के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ– 6 के अनुरूप राशि आवंटित की जा चुकी है।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, शेखपुरा द्वारा आवंटित राशि के व्ययोपरांत योजना के कार्यान्वयन हेतु अवशेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध एवं विभागीय राज्यादेश सं०–108 दिनांक–09/01/19 के आलोक में नगर परिषद्, शेखपुरा में पूर्व से स्वीकृत सम्राट अशोक विवाह भवन निर्माण की योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ– 7 में अंकित अवशेष राशि के समतुल्य स्तम्भ– 8 के अनुरूप कुल राशि ₹63.31100 लाख (तिरसठ लाख एकतीस हजार एक सौ रु०) मात्र नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् आवंटित की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	राज्यादेश संख्या/ दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	आवंटित राशि	अवशेष राशि (5–6)	आवंटित कुल अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	नगर परिषद्, शेखपुरा	नगर परिषद्, शेखपुरा अंतर्गत सम्राट अशोक विवाह भवन निर्माण कार्य।	91/ 29.12.2014	126.62200	63.31100	63.31100	63.31100

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹63.31100 लाख (तिरसठ लाख एकतीस हजार एक सौ रु०) मात्र।

3. उक्त आवंटित ₹63.31100 लाख (तिरसठ लाख एकतीस हजार एक सौ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, शेखपुरा होगें** जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 एवं पत्रांक– 662, दिनांक– 02.08.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. उक्त आवंटित ₹63.31100 लाख (तिरसठ लाख एकतीस हजार एक सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 192–नगर पालिकाओं–नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष– 0105–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217031920105,** विषय शीर्ष– 0105.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

7. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

08-1-19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०सु०–03–03/2015 63 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 09/01/19

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08-1-19

सरकार के विशेष सचिव।

*ई–मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

पत्रांक–2ब०/ना०सु०–03–03/2015 108 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

*अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 09/01/19

विषयः– नगर परिषद्, शेखपुरा में पूर्व में नागरिक सुविधा मद अंतर्गत स्वीकृत योजना के लिए देनदारी की कुल राशि ₹63.31100 लाख (तिरसठ लाख एकतीस हजार एक सौ रु०) मात्र वित्तीय वर्ष 2018–19 में नागरिक सुविधा मद से सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में नगर परिषद्, शेखपुरा में निम्न तालिका के स्तम्भ– 4 में अंकित राज्यादेश द्वारा सम्राट अशोक विवाह भवन निर्माण की योजना को स्तम्भ– 5 में अंकित राशि के अनुरूप प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ– 6 के अनुरूप राशि आवंटित की जा चुकी है।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, शेखपुरा द्वारा आवंटित राशि के व्ययोपरांत योजना के कार्यान्वयन हेतु अवशेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त अनुरोध के आलोक में नगर परिषद्, शेखपुरा में पूर्व से स्वीकृत सम्राट अशोक विवाह भवन निर्माण की योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ– 7 में अंकित अवशेष राशि के समतुल्य स्तम्भ– 8 के अनुरूप कुल राशि ₹63.31100 लाख (तिरसठ लाख एकतीस हजार एक सौ रु०) मात्र नागरिक सुविधा मद से निम्नवत् स्वीकृत की जाती हैः–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजनाओं का नाम	राज्यादेश संख्या/दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	आवंटित राशि	अवशेष राशि (5–6)	स्वीकृत कुल अवशेष राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	नगर परिषद्, शेखपुरा	नगर परिषद्, शेखपुरा अंतर्गत सम्राट अशोक विवाह भवन निर्माण कार्य।	91/ 29.12.2014	126.62200	63.31100	63.31100	63.31100

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹63.31100 लाख (तिरसठ लाख एकतीस हजार एक सौ रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

3. उक्त स्वीकृत ₹63.31100 लाख (तिरसठ लाख एकतीस हजार एक सौ रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, शेखपुरा होगें** जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 354, दिनांक– 28.03.2018 एवं पत्रांक– 662, दिनांक– 02.08.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। **राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।**

4. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

5. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

6. उक्त स्वीकृत ₹63.31100 लाख (तिरसठ लाख एकतीस हजार एक सौ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या– 48 बजट शीर्ष– 2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष– 03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष– 192–नगर पालिकाओं–नगर परिषद् को सहायता, उप शीर्ष– 0105–नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें–सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **48-2217031920105,** विषय शीर्ष– 0105.31.05 सहायक अनुदान– परिसंपत्तियों के निर्माण से की जाएगी।

7. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार बिहार, पटना तथा सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजना के कार्यान्वयन का भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

8. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

9. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 2ब०/ना०सु०–03–03/2015 के पृष्ठ सं०– 28 /टि० पर दिनांक– 7.1.19 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०– 29 /टि० पर दिनांक– 7.1.19 को प्राप्त है ।

10. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

11. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, शेखपुरा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

08-1-19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/ना०सु०–03–03/2015 108 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक–09/01/19

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, शेखपुरा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08-1-19

सरकार के विशेष सचिव।